ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार सरकार

अधिसूचना

अ०सं० :–3/अ०प्र०–1–136/14 519 /पटना, दिनांक :– 22.2.21

श्री जवाहर प्रसाद भगत, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, फुलपरास पदस्थापन के दौरान घोघरडीहा प्रखंड अंतर्गत डेवढ़ स्थित दिघिया पोखर कब्रिस्तान की घेराबंदी योजना में अनियमितता बरतने के लिए जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 546 दिनांक 07.08.2014 द्वारा गठित आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की गयी।

2. उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 3847 अनु0 दिनांक 20.10.2014 द्वारा श्री जवाहर प्रसाद भगत, सहायक अभियंता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। स्मारित किये जाने के बावजूद श्री भगत से वांछित स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के कारण पुनः आरोप पत्र गठित कर अधिसूचना संख्या–2525–सह–पठित ज्ञापांक 2526 अनु० दिनांक 12.08.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री भगत के दिनांक 30.09.2016 को सेवानिवृत हो जाने के कारण श्री भगत के विरूद्ध उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को अधिसूचना संख्या–452–सह–पठित ज्ञापांक 453 दिनांक 07.03.2017 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 107 अनु0 दिनांक 04.10.2018 द्वारा श्री भगत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसमें श्री भगत के विरूद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत उससे असहमत होते हुए असहमति के बिन्दुओं पर श्री भगत से विभागीय पत्रांक 1500 अनु0 दिनांक 03.06.2019 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

5. विभागीय निदेश के आलोक में श्री भगत द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया। जिसमें श्री भगत द्वारा उनके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई राशि लंबित नहीं होने तथा गबन नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया। साथ ही बिना गबन किये ही प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के दबाव में राशि 2,85,986/– रूपये (दो लाख पचासी हजार नौ सौ छियासी रूपये) मात्र में सामानुपातिक रूप से 95,328.66/– रूपये (पन्चानवे हजार तीन सौ अठाईस रूपये छियासठ पैसे मात्र) जिला निलाम पत्र पदाधिकारी, अनुमण्डल कार्यालय, फुलपरास के अधीन जमा करना प्रतिवेदित किया गया।

6. श्री भगत द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपी अभियंता द्वारा प्रखंड–घोघरडीहा अंतर्गत योजना संख्या–1/2007–08 दिघीया पोखर कब्रिस्तान

डेवढ के घेराबंदी योजना में 95,328.66/– रूपये जमा करना दर्शाता है कि उनके द्वारा अनियमितता बरती गयी। जिस कारण इनके विरूद्ध नीलाम पत्र वाद दायर किया गया। इस आधार पर श्री भगत का द्वितीय बचाव बयान अस्वीकार योग्य पाते हुए श्री जवाहर प्रसाद भगत, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास सम्प्रति सेवानिवृत को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती अगले 05 वर्षों तक करने की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

7. तत्पश्चात् उक्त विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 65 अनु0 दिनांक 06.01.2020 द्वारा सहमति/परामर्श की मांग बिहार लोक सेवा आयोग से की गयी।

8. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1998 दिनांक 05.11.2020 द्वारा उक्त दण्ड प्रस्ताव पर आयोग की सहमति संसूचित किया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्री जवाहर प्रसाद भगत, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास सम्प्रति सेवानिवृत को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43 (बी) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है –

(i) पेंशन से 10 % (दस प्रतिशत) की कटौती अगले 05 (पाँच) वर्षों तक।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

22.02.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :–3/अ०प्र०–1–136/14 420 /पटना, दिनांक :– 22.2.21

प्रतिलिपि :–ई कोषांग, वित्त विभाग/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी०डी० एवं दो अतिरिक्त हार्ड कॉपी के साथ गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

22.02.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–136/14 420 पटना/दिनांक :– 22.2.21

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक (दावा) कोषांग, वित्त विभाग, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना एवं सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.02.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–136/14 420 पटना/दिनांक :– 22.2.21

प्रतिलिपि :–बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 1998 दिनांक 05.11.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–136/14 420 पटना/दिनांक :– 22.2.21

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास/प्रशाखा पदाधिकारी–5/ श्री जवाहर प्रसाद भगत, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता :– मोहल्ला–लतराहाय, पो0–अमहा, थाना+जिला–सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

22.02.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–136/14 420 पटना/दिनांक :– 22.2.21

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

22.02.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–136/14 420 पटना/दिनांक :– 22.2.21

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22.02.21

उप सचिव